अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

15/1/25 पी.अ. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 25/1/25 को पेश हो।

25/1/25 अपीलार्थी अधिवक्ता व प्राति. क्रमांक 1 व 6 के जवाब पक्ष मे भी पत्रावली पर शामिल है। अधि. अधिवक्ता ने बहस भी प्रार्थना की बहस सुनी। पत्रावली ~~बाद~~ मे निर्णय सुनाया जाता। मामले मे निर्णय इस प्रकार है -

अपीलार्थी वादी ने अपनी बहस मे प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराया किया। इसी प्रकार अधि प्राति. संख्या 1 व 6 ने ने अपनी बहस मे जवाब के तथ्यो को दोहराते करते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपील उत्तरपत्र की बहस पर मनन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति वर्तमान हालात मे प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होते है।

अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख.नं. की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उत्तरपत्र को जारी स

(हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं… अहक… की तामी…
	अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख.नं. 1771 रकबा 0.02 हे. ख.नं. 2002 रकबा 0.97 हे. के मौके की यथास्थिति ताफैसलावाद बनाये रखें। उभयपक्ष पक्षकारान पाबन्द रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो / बाद तैयारी तकमील हो। निर्णय हस्ते इजलास सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)